

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

FIRE
NOC

पूआईडी संख्या: UPFS/2024/117591/BRL/BAREILLY/2597/CFO

दिनांक: 13-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SABRIS WHITE PEARLS GLOBAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **644 639 AND 645, SAIDPUR KHAZORIYA OPP PAC BUILDING NAKATIYA, BAREILLY** तहसील - **BAREILLY**, प्लॉट एरिया **6852.18 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2748.48** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | वेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| SABRIS WHITE PEARLS GLOBAL SCHOOL | 3 | 0 | 10.95 mt. |

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SABRIS WHITE PEARLS GLOBAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **15-05-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAKIBHASAN KHAN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-05-2024** से **15-05-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SABRIS WHITE PEARLS GLOBAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SABRIS WHITE PEARLS GLOBAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : The instant NOC shall only be valid subject to the compliance of inspection report conditions all the time.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(Chandra Mohan Sharma)

[7035BFF45096262885F5F95967EEC5FFF55997EC]

15-05-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-05-2024
स्थान : BAREILLY